लागत अंकेक्षण

[COST AUDIT]

लागत अंकेक्षण का भारत में प्रादुर्भाव
(EVOLUTION OF COST AUDIT IN INDIA)

भारत में लागत अंकेक्षण का प्रादुर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के अन्तराल में हुआ। उस समय सरकार को बड़ी मात्रा में शस्त्रों का क्रय करना था। सरकार का प्रमुख उद्देश्य शस्त्रों की नियमित आपूर्ति न्यूनतम सम्भव मूल्यों पर सुनिश्चित करना था। आपूर्तिकर्ता उस समय उत्पादों के लिए आवश्यक सामग्री के मूल्यों में उच्चावचन से बहुत चिंतित थे। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने विक्रेताओं से अधि-लागत अनुबन्ध (Cost Plus Contracts) किए, जिसके लिए सरकार को उत्पादक द्वारा व्यय की गयी लागत का सत्यापन कराना होता था और इस लागत में एक पूर्व निर्धारित दर से लाभ को जोड़ा जाता था और इस प्रकार सरकार द्वारा देय मूल्य का निर्धारण किया जाता था।

स्वाधीनता के पश्चात् सरकार ने कुछ विशिष्ट उद्योगों के लागत ढांचे का अध्ययन करने के प्रयास किए जिनमें चीनी, कोयला, वनस्पति, औषधि, टायर, आदि महत्वपूर्ण थे। इस प्रकार के नियन्त्रण का उद्देश्य उपभोक्ता को वस्तु उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना एवं उत्पादक को उचित प्रतिफल सुनिश्चित कराना था। ऐसा करने से सरकार को अपनी कर नीति में भी संशोधन करने में सहायता मिली जो समाज के सामान्य हित में थे।

भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233B के अन्तर्गत लागत अंकेक्षण कुछ उद्योगों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।

लागत अंकेक्षण की परिभाषा
(DEFINITION OF COST AUDIT)

आई. सी. एम. ए., लन्दन ने परिव्यय अंकेक्षण की निम्नलिखित परिभाषा दी है : "परिव्यय लेखों की शुद्धता का सत्यापन तथा परिव्यय लेखांकन योजना के सही अनुसरण पर एक अंकुश"[1] परिव्यय अंकेक्षण है।

इस परिभाषा के अन्तर्गत दो बातें प्रमुख हैं : (1) परिव्यय लेखों की शुद्धता का सत्यापन, तथा (2) परिव्यय लेखांकन की योजना के अनुसार चलते रहने का ध्यान रखना। परिभाषा में अंकुश शब्द का अर्थ यह है कि परिव्यय अंकेक्षण परिव्यय लेखांकन की योजना से न हटने पर रोक बनाये रखे।

परिव्यय लेखों के अन्तर्गत परिव्यय पत्र, परिपत्र, प्रतिवेदन, आंकड़े व परिव्यय प्रविधि, आदि सम्मिलित हैं। अतः परिव्यय अंकेक्षण इन सभी लेखों की शुद्धता के सत्यापन से सम्बन्धित है।

1 "The verification of cost accounts and a check on the adherence to the cost accounting plan." —I. C. M. A

Scanned with CamScanner

परिव्यय अंकेक्षण तथा वित्तीय अंकेक्षण
(COST AUDIT & FINANCIAL AUDIT)

परिव्यय अंकेक्षण तथा वित्तीय अंकेक्षण के सिद्धान्त व कार्यों में कोई अन्तर नहीं है। अन्तर केवल उद्देश्यों व व्ययों का है जिन्हें प्राप्त करना है तथा कार्यक्षेत्रों का है। इन दोनों में मुख्य अन्तर निम्नलिखित कहे जा सकते हैं:

(1) वित्तीय अंकेक्षण वित्तीय लेखों से सम्बन्धित है और वह परिव्यय लेखों तक पहुंच नहीं रखता है। परिव्यय अंकेक्षण के अन्दर परिव्यय के लेखों का ही विस्तार से परीक्षण व सत्यापन किया जाता है।

(2) वित्तीय अंकेक्षण लेन-देनों के लेखांकन की शुद्धता की जांच प्रमाणन (Vouching) द्वारा करने पर जोर देता है जबकि परिव्यय अंकेक्षण के अन्तर्गत व्यय की औचित्यता व क्रियाकलापों की कुशलता पर भी ध्यान दिया जाता है।

(3) वित्तीय अंकेक्षण में इस बात पर अधिक ध्यान दिया जाता है कि व्यय किया गया है अथवा जो आय प्राप्त की गयी है उनका लेखा ठीक प्रकार से किया गया है अथवा नहीं। दूसरे शब्दों में, यह अंकेक्षण पिछले लेखों से सम्बन्धित रहता है तथा भविष्य के लिए सुझाव नहीं देता, जबकि परिव्यय अंकेक्षण में लेखों के सत्यापन के साथ भविष्य के लिए सुझाव देना प्रमुख रहता है।

(4) वित्तीय अंकेक्षण में अंकेक्षण रिपोर्ट अंशधारियों को प्रस्तुत की जाती है जबकि लागत अंकेक्षण की रिपोर्ट कम्पनी लॉ बोर्ड (केन्द्रीय सरकार) तथा कम्पनी दोनों को प्रस्तुत की जाती है।

(5) वित्तीय लेखों का अंकेक्षण कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य है, परन्तु लागत अंकेक्षण कुछ उत्पाद से सम्बन्धित उद्योगों के लिए अनिवार्य है।

(6) वित्तीय अंकेक्षण का सम्बन्ध निर्णय लेने से नहीं है, जबकि लागत अंकेक्षण का सम्बन्ध लिए गए निर्णयों के औचित्य की जांच करना है।

(7) वित्तीय अंकेक्षण साधारणतः संस्था के मालिकों के लिए व कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ति के लिए आवश्यक रूप से कराया जाता है, जबकि लागत अंकेक्षण बाहरी संस्थाओं द्वारा करवाया जाता है; जैसे—सरकार, औद्योगिक ट्रिब्यूनल, व्यापारिक संघ, आदि।

(8) वित्तीय अंकेक्षण का सम्बन्ध खातों के सही व शुद्धता की जांच करना है जबकि लागत अंकेक्षण का कार्य सलाह देना, लागतों में कमी, गुणवत्ता में सुधार, हानि में कमी, लाभों में वृद्धि करना है।

परिव्यय अंकेक्षण के उद्देश्य
(OBJECTS OF COST AUDIT)

इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(1) परिव्यय लेखे ठीक प्रकार से रखे गये हैं इसकी जांच करना।

(2) लेखों की हिसाबी शुद्धता ज्ञात करना।

(3) सामग्री के आगमन, निर्गमन तथा संग्रह सम्बन्धी पत्र, प्रपत्रों व उनके मूल्यांकन सम्बन्धी शुद्धता की जांच करना। श्रम अदायगी के साथ श्रम परिव्यय का उचित विवरण एवं उपरिव्यय सम्बन्धी सभी मदों का उचित अभिभाजन व अवशोषण आदि के लेखों की शुद्धता ज्ञात करना।

(4) प्रबन्धन नीति का अनुसरण ठीक प्रकार से किया जा रहा है अथवा नहीं, इसकी जांच करना तथा त्रुटियों के समाधान के लिए सुझाव देना।

(5) ठीक परिव्यय ज्ञात करने, परिव्यय पर नियन्त्रण रखने तथा लाभकारिता बढ़ाने के लिए जो कार्यवाही की गयी है, उसकी जांच करना तथा भविष्य के लिए प्रस्तुत करना।

(6) सामग्री, श्रम व मशीनों के प्रयोग के सम्बन्ध में पाई गई कमियों व त्रुटियों का पता लगाना।

(7) प्रबन्ध द्वारा पूर्व-निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन की जांच करना।

(8) लागत में कमी व लागत नियन्त्रण की योजनाओं के क्रियान्वयन की जांच करना।

(9) पूंजी पर प्रत्याय की दर ज्ञात करना और उसका अनुमानित आय व लाभ से मिलान करना।

(10) प्रबन्ध को सुझाव व परामर्श देना।

Scanned with CamScanner

परिव्यय अंकेक्षण के लाभ
(ADVANTAGES OF COST AUDIT)

परिव्यय अंकेक्षण के निम्नलिखित लाभ हैं :

1. **प्रबन्धकों को लाभ**

(अ) त्रुटियों का भान होने से कर्मचारियों की सतर्कता पनपती है, धन का दुरुपयोग रुकता है तथा नैतिकता जाग्रत होती है।

(आ) प्रबन्धकों को आश्वासन प्राप्त होता है कि जो परिव्यय प्रतिवेदन के विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक हैं, भविष्य की योजना व नीति निर्धारण में आंकड़ों की सत्यता का आश्वासन प्रबन्धकों के लिए अति मूल्यवान सिद्ध होता है।

(इ) सामाजिक तुलनात्मक अध्ययन द्वारा विभागों की अकर्मण्यता व कुशलता का ज्ञान कराने से प्रबन्धकों को प्रशासकीय कार्य में सहायता मिलती है व लाभकारिता बढ़ाने की क्षमता प्राप्त होती है।

(ई) परिव्यय ज्ञात करने व परिव्यय पर नियन्त्रण करने में परिव्यय अंकेक्षण जहां सहायक होता है, वहां वह उन्नत विधियों को अपनाने का सुझाव प्रस्तुत करता है।

2. **विनियोजकों** (Investors) **को लाभ**

(अ) अंकेक्षण होने पर अधिकारियों पर विश्वास हो जाता है कि जो स्थिति-विवरण उनके सामने रखा गया है, वह ठीक है। वे ज्ञात कर सकते हैं कि कम्पनी में अधिक विनियोग करना लाभप्रद रहेगा या नहीं।

(आ) बैंक व निगम ऐसी कम्पनियों को धन उधार देना पसन्द करते हैं जो कि परिव्यय अंकेक्षण कराते हैं।

3. **उपभोक्ताओं को लाभ**

(अ) अंकेक्षण द्वारा साधनों का सदुपयोग होने से उत्पादों की किस्म उन्नत प्रकार की हो जाती है तथा उत्पादन लागत कम होने से मूल्यों में गिरावट आती है।

(आ) सरकार द्वारा वस्तुओं का 'उचित मूल्य' (fair price) निर्धारण करने से उपभोक्ताओं को लाभ रहता है तथा वे अपना जीवन-स्तर ऊंचा उठा सकते हैं।

4. **सरकार को लाभ**

(अ) राष्ट्र की अर्थव्यवस्था व योजनाओं के निर्माण में परिव्यय के सही आंकड़े व उत्पादन की मात्रा के सही आंकड़े सहायक होते हैं जो कि अंकेक्षण द्वारा विश्वसनीय बन जाते हैं।

(आ) परिव्यय अतिरिक्त-लाभ (cost-plus) ठेकों में जिन्हें सामान्य तौर पर सरकार दिया करती है, सरकार को विश्वास प्राप्त हो जाता है कि उसने उन ठेकों का उचित मूल्य ही दिया है।

(इ) उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने व सहायता देने की दिशा में अंकित लेखे योगदान प्रदान करते हैं।

(ई) श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारण में, उन मामलों तथा व्यापार के अन्य झगड़ों के निपटारे में सरकार को अंकेक्षित लेखों से सहायता मिलती है।

(उ) देश का उत्पादन बढ़ाकर राष्ट्रीय आय बढ़ाने के सम्बन्ध में अंकेक्षित लेखे सहायता प्रदान करते हैं।

Scanned with CamScanner